



# झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

नगर प्रशासन भवन, एच0 ई0 सी0, धुर्वा, राँची  
दूरभाष : (0651) 2400851, 2400852, फ़ैक्स : 0651-2400850

पत्रांक ..... 6.1358

राँची, दिनांक ..... 1.5.15

## सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हरी श्रेणी की वैसी इकाईयाँ जो माननीय उच्चतम न्यायालय के वाद संख्या-19628-19629/09-दीपक कुमार बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य में आदेश दिनांक 27.02.2012 से आच्छादित नहीं है, में पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता झारखण्ड राज्य में नहीं है। हरी श्रेणी के इकाईयों की विस्तृत सूची पर्षद के वेब साईट [www.jspcb.org](http://www.jspcb.org) पर उपलब्ध है।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि झारखण्ड राज्य में किसी भी इकाई के विद्युत संयोजन (connection) हेतु झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से प्रदूषण नियंत्रण संबंधी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। बशर्ते कि पर्षद के द्वारा विद्युत विच्छेद आदेश सम्बन्धित इकाई के विरुद्ध पूर्व में नही दिया गया है।

ह0/-

प्रभारी सदस्य सचिव

ज्ञापांक ..... 6.1358

राँची, दिनांक ..... 1.5.15

प्रतिलिपि: सभी शाखा प्रमुख / प्रशासी पदाधिकारी / सहायक वैज्ञानिक पदाधिकारी / कनिय पर्यावरण अभियन्ता / वैज्ञानिक सहायक / प्रशाखा पदाधिकारी, मुख्यालय / सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रभारी सदस्य सचिव

*Amul Singh*  
15/5/15  
5.45  
01.5.